Violation of statutes governing the memorials

*372. SHRI RAM GOPAL YADAV:
SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the memorials of Mahatma Gandhi, Pt. Nehru and other former Prime Ministers are governed by an Act of Parliament and the rules made thereunder; and

(b) if so, whether any case of violation of the governing statutes has been brought to the notice of Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) and (b) Rajghat, the Samadhi of Mahatma Gandhi is governed by the Rajghat Samadhi Act, 1951 and Rules made thereunder. No such Act has been passed by the Parliament in respect of Samadhis of Pandit Jawahar Lal Nehru or any other Prime Minister located in Delhi. No violation of such statute has been brought to the notice of the Central Government. However, some portion of the land with the Rajghat Samadhi Committee was allotted in 1984, with the consent of the Committee for the Samadhi of Smt. Indira Gandhi. Again in 1987 Chaudhury Charan Singh was cremated inside the Rajghat land. Although, the Rajghat Samadhi Committee agreed to erection of Samadhi of Chaudhury Charan Singh at the spot of cremation, it did not agree to formal allotment of land. Subsequently, some land belonging to Rajghat was allotted for Vir Bhumi, the Samadhi of Shri Rajiv Gandhi.

इंदिरापुरम योजना के अधीन फलैटों का आबंटन न किए जाने के कारण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को हुआ नुकसान

*373. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंदिरापुरम् योजना के अंतर्गत नीति खण्ड सैक्टर-3 में फ्लैटों का निर्माण किस वर्ष में हुआ था;

(ख) क्या यह सच है कि विगत कई वर्षों से मकानों का निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद उक्त फैलट/भवन आवंटित नहीं किए गए हैं और क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को हुए आर्थिक नुकसान का कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण वर्ष में इन फ्लैटों की वास्तविक कीमत क्या निर्धारित की गई थी और इस समय इन भवनों की वास्तविक कीमत क्या है; और

(घ) सरकार इन फ्लैटों का आवंटन न किए जाने के कारण होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु): (क) इंदिरापुरम् सेक्टर-3 के नीति खण्ड में मकानों का निर्माण 1991 में शुरू हुआ था।

(ख) इंदिरापुरम योजना सेक्टर-3 के नीति खण्ड में फेज-वार बने 530 मकानों में से 447 मकानों का आबंटन पहले ही किया जा चुका है। किन्तु, वास्तविक कब्जा केवल 2 आबंटियों को उनके विशेष अनुरोध पर ही सौंपा गया है और शेष मकानों का कब्जा पानी, सीवर तथा बिजली जैसी अनिवार्य सुविधाओं के साथ, नियमानुसार तभी दिया जा सकेगा जब आबंटीगण बकाया राशि का पूरा भुगतान करने जैसी शर्तें पूरी करके प्राधिकरण से आवेदन करेंगे।

(ग) निर्माण वर्ष में मकानों की अनंतिम लागत तथा आज की तारीख में अंतिम लागत इस प्रकार है: